



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1195]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2019/फाल्गुन 21, 1940

No. 1195]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2019/ PHALGUNA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

का. आ. 1338(अ).—यतः, मै. देवभूमि रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ने तेलंगाना राज्य के रंगा रेड्डी जिले के सेरीलिंगापल्ली मंडल के रायदुर्ग पन्माक्था ग्राम में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4121(अ) दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. देवभूमि रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 2.02 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र स. 1098/आईटीई&सी/प्रोम/2016 दिनांक 28 जून, 2018 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 2.02 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 1/15/2017—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2019

S.O. 1338(E).—WHEREAS, M/s. Devbhumi Realtors Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES sector at Sy No. 83/1, Raidurg Panmakhta Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 2.02 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 4121(E) dated 26th December, 2017;

AND, WHEREAS, M/s. Devbhumi Realtors Private Limited has now proposed to de-notify entire area of 2.02 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its “No Objection” to the proposal vide letter No. 1098/ITE&C/Prom/2016 dated 28th June, 2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 2.02 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/15/2017-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.